राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

<u>निर्वाचन/आवश्यक/फैक्स</u>

प्रेषक,

बिपिन चन्द्र चन्दोला,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड ।

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

राज्य निर्वाचन आयोगः अनुभाग-2 : देहरादूनः दिनांकः फरवरी, 2003

विषयः-अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख तथा उप प्रमुखों के पदों के निर्वाचन में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी किया जाना।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त 12 (बारह) जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में अध्यक्ष जिला पंचायत के पद के निर्वाचन हेतु अधिसूचना संख्या 1797/रा0नि0आ0अनु0-2/916/2008 दिनांक 22 सितम्बर, 2008, उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु अधिसूचना संख्या 1798/रा0नि0आ0अनु0-2/916/2008 दिनांक 22 सितम्बर, 2008, तथा क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख पद के निर्वाचन हेतु अधिसूचना संख्या 1799/रा0नि0आ0अनु0-2/916/2008 दिनांक 22 सितम्बर, 2008 तथा क्षेत्र पंचायतों के ज्येष्ठ उप प्रमुखों व कनिष्ट उप प्रमुखों के निर्वाचन हेतु अधिसूचना संख्या 1800/रा0नि0आ0अनु0-2/916/2008 दिनांक 22 सितम्बर, 2008 जारी की गई है। तद्क्रम में जिला पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायतों के समस्त उम्मीदवारों एवं निर्वाचकों हेतु आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभावी की जाती है।

2. इस संबंध में अवगत कराना है कि उक्त आचार संहिता समस्त क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के सदस्यों एवं प्रमुख/उप प्रमुखों तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला पंचायत के पद के उम्मीदवारों तथा उनके निर्वाचन के संबंध में किये जाने वाले कार्यों/हितों के संबंध में समस्त पर लागू रहेगी।

3. अतः राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि:-

1. मा0 मंत्रीगणों को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को अवगत करा दिया जाय कि उक्त कारण से जिला पंचायत अध्यक्षों/उपाध्यक्षों तथा क्षेत्र पंचायत के प्रमुख/ज्येष्ठ उप प्रमुख/कनिष्ठ उप प्रमुख के पद के निर्वाचन सम्पन्न होने तक जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ सामूहिक भोज/अभिनन्दन, समारोह/सत्कार अथवा मनोरंजन के कार्यक्रमों में भाग न लें।

क्रमशः.......2

2. उक्त निर्वाचनों में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-ए से धारा 171-आई तक के प्राविधान लागू रहेंगे।
3. उपरोक्त अवधि में जिला पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों/ग्राम पंचायतों द्वारा भूमि, भवन, दुकान, अचल सम्पत्तियों के पट्टे आदि नहीं दिये जा सकेंगे तथा विभिन्न प्रकार के ठेकों/टेण्डरों की स्वीकृति भी नहीं दी जायेगी।
4. उक्त अवधि में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायतों को शासन से दी जाने वाली आर्थिक सहायता/अनुदान से सम्बन्धित कोई आदेश न जारी किये जाय।

कृपया तद्नुसार समस्त संबंधित को सूचित कर अपने स्तर से भी सभी संबंधित को प्रभावी आदेश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह0.

(बिपिन चन्द्र चन्दोला)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या (1)/रा0नि0आ0-2/916/2008 तद्दिनांक।(फैक्स)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।(हरिद्वार को छोड़कर)

आज्ञा से,

ह0.

(जे0आर0लापड़)

संयुक्त सचिव।